

फर्द अहकाम

न्यायालय :- सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर
भगवती बनाम कमला वगै०

केस संख्या : इजराय- 27 / 2025

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
------------	---------------------------	-------------

17.10.2025

प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवें। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.2025 (80 / 2024 उनवान भगवती बनाम कमला) की पालना अपील अवधि (30 दिवस) के पश्चात् करने हेतु तहसीलदार रामपुरा डाबडी को लिखा जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो ओर अपील अवधि समाप्त हो चुकी हो तो तहसीलदार रामपुरा डाबडी इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना शीघ्र प्रेषित करें। तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते इंतजार पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 14.11.2025 को पेश है।

[Signature]
सहायक कलेक्टर
आमेर मु० जयपुर

तहरीर जारी
14/11
28.10.2025

14 ¹¹ / 2025

पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता उपस्थित।
वादी अधिवक्ता ने जोर दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक की पालना की तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा पालना की जा चुकी है। तथा जमावें पेश कि। चूंकि निर्णय व डिक्री की पालना में नामा-नकरण संख्या 734 दिनांक 3/11/2025 को खोला जा चुका है अतः अब पत्रावली का अनुतोप शेष नहीं रह जाता है अतः पत्रावली निर्णय की जाकर छद्म तहसील दाखिल पत्रावली है।

[Signature]
सहायक कलेक्टर
आमेर मु० जयपुर

